

रिपोर्ट पटनारी हल्का/आर०एल०आर०
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

151/24/11/21

उपरोक्त पत्र पर जांच के बाद निम्नलिखित बातें सामने आई हैं कि उपरोक्त
सूची निम्न प्रकार उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
दिनांक 24/11/21

राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त करने जाने की अनुरोध की जाती है।

उचित किता उचित है।

24/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
उदयपुरवाटी (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलाक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंशुनू (राज.)
-: आदेश :-

दिनांक :- 24/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अन्त दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुडागौड़	2075-78	251	जीवना जी पामलम दि/21 पामलम माता दि/21	जीवनी देवी पुत्री पामलम दि/21 पामलम माता मा. दे. दे. खाता

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 24/11/21

राजस्व/2020/1581-82

तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तु पालनार्थ।
प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी